

# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

SIDO

मुकाम

सीकर

सीकर

बनाम

गारामठ का

किस्म मुकद्दमा

53 R.T.A.C

नं.

33/18

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व द्वारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
3/5/18	<p>राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट <u>महुडा</u> पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा <u>53</u> आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि</p> <p><u>शंकर/पुष्पा बलार, गारामठ, न्या. पुष्पा</u>  <u>इस मुद्दे राजस्व मन्त्र विभाग</u>  <u>प्रतिगैर तैयार परा प्रियवली</u></p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।</p> <p>अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि</p> <p>सौजा <u>3 गारामठ</u></p> <p><u>शंकर/पुष्पा बलार</u> <u>शंकर/पुष्पा बलार</u>  <u>820/2 0.23 4.37</u> <u>825 0.01</u></p> <p><u>गारामठ मिया, पुष्पा बलार</u></p> <p><u>820/2 0.24 4.57</u>  <u>शंकर/पुष्पा बलार</u>  <u>826/1 0.23 4.37</u></p> <p>इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बडीसादडी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम</p>	

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)

RAS

पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत  
 उपखण्ड अधिकारी  
 पदेन न्यायालय फतेहगढ़  
 बडीसादडी (राज.)



001